तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 81/2019 अनवान जालाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

03.12.2019

पत्रावली पेश हुई । पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड एवं तथ्यों का अवलोकन व अध्ययन किया। प्रार्थी सं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम फींच के ख.नं. 687 रकबा 9.18 बीघा एवं ख.नं. 687/2 रकबा 3.02 बीघा के टुकड़े सड़क निकलने से हो गये परन्तु मौके पर ख.नं. 687/2 का रकबा 6 बीघा एवं ख.नं. 687/ रकबा 8 बीघा हैं जो कि राजस्व रिकार्ड से भिन्नता रखते हैं जिसे मौके के अनुसार रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच रिपोर्ट तहसीलदार लूणी से करवायी गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार लूणी एवं हल्का पटवारी फींच की रिपोर्ट अनुसार पूर्व के उक्त खसरा नं. 687 का कुल रकबा 15.13 बीघा था जिसमें से 2.13 बीघा गे.मु.सड़क निकलने से खसरा नं. 687/2 व 687 खातेदार के नाम रहे, जिसका अलग–अलग रकबा जमाबन्दी एवं मौके पर अन्तर आ रहा हैं। मौके अनुसार ख.नं. 687 रकबा 8.00 बीघा एवं ख.नं. 687/2 रकबा 5.00 बीघा हैं। तहसीलदार लूणी एवं हल्का पटवारी की जांच मय नजरी नक्शें अनुसार रेकर्ड दुरस्ती किया जाना आवश्यक बताया होता हैं।

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन करने पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सलंग्न रेकर्ड अनुसार ग्राम फींच के खसरा नम्बर 687 रकबा 15.13 बीघा में से गैर मुमकिन सड़क निकलने से मूल खसरा नम्बर 687 प्रार्थी का खेत दो खसरों में विभक्त हो गया एवं एक खसरा गैर मुमकिन सड़क का होना बताया। जिसकी तरमीम भी लट्ठा ट्रेस में नही होना पाया गया। जबकि पत्रावली में नजरी नक्शा ही सलंग्न किया गया परन्तु इससे सम्बन्धित प्रमाणित रेकर्ड पेश नही किया। चुकि तहसीलदार लूणी एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 01.10.2019 के अनुसार खसरा नम्बर 687/1 रकबा 2.13 बीघा एवं खसरा नम्बर 687/2 रकबा 3.02 बीघा खसरा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

नम्बर 687 रकबा 15.13 बीघा मे से सड़क निकलने से उक्त खसरे बनना बताया परन्तु इससे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी का आदेश मय प्रमाणित नक्शा ट्रेस एवं राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत नही किया। केवल मात्र मौका अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती करने की रिपोर्ट पेश की गई। इस तरह से सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रति एवं तरमीम शुद्वा नक्शा ट्रेस के अभाव में रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलेक्टर एवं दण्डनायक अधिकारी
भूना (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner